

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व नारील  
अदालत की हुकम  
हुकम की हामील  
में जारी कर


मोहलजाल 1/15 साकार

9/11/2024 पत्रावली पेश हुई। वादी आधी. उज.। वकीलें. 1 की मूल्ह दिनांक 20/12/2024 को लेने से वादी आधीवक्ता द्वारा कायम मुकामान् जर्जिन पत्र मय मूल्ह उजाण पत्र एवं कायम मुकामान् के बकासतगमा पेश किया गया। प्रातेवादी प्रेदेकार साकार द्वारा आदेश 22 नियम 3 वा. दीवानी जर्जिन पत्र नियत अवाधि में पान्तुत होने से स्वीकार करने में कोई आपानि नहीं लेना स्वीकार किया गया। वादी आधी. द्वारा पान्तुत जर्जिन पत्र आदेश 22 नियम 3 वा. दीवानी नियत अवाधि में लेने से स्वीकार किया जाना है। वादी आधीवक्ता द्वारा (पेशोकीत उनवान पेश किया गया। शा. दिसल किया गया। पत्रावली वाले आद्वयवदी हेतु दिनांक 10/11/25 को पेश हो।

  
9/11/25

10/11/25

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी आधीवक्ता अनुपातिलत) वादीगण एवं वादी आधीवक्ता की निपमानुसार तीन बार आवजे लगवाई गई, पान्तुत कोई उपनिलत नहीं आया। वादीगण एवं वादी आधी. के आनिलत नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा पान्तुत वाद अन्तर्गत द्वारा 88, 188 शकस्कान काशनकारी आधीनियम को अदक राजरी- अदक पौगी में जाशिक किया जाना है। निशचि जुले न्यायालय में सुनाया गया। उन्ही पचि जारी हो। पत्रावली फामल शुमार होकर दाखिल दफ्तर से लका नम्बर से कम हो।

  
10/11/25

सहायक कलक्टर  
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**  
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मेहनलाल पुत्र छगनजी कुमावत उम्र वयस्क मृतक के बजाय
  - 1/1 प्रकाश पुत्र मोहन लाल कुमावत उम्र वयस्क
  - 1/2 कन्हैया लाल पुत्र मोहन लाल कुमावत उम्र वयस्क
  - 1/3 केली पत्नी मोहन लाल कुमावत उम्र वयस्क निवासीयान दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गोवर्धनलाल पुत्र छगनलाल कुमावत उम्र वयस्क मृतक के बजाय
  - 2/1 भगवती पत्नी गोरधन जी उम्र वयस्क
  - 2/2 शान्ता पुत्री गोरधन जी उम्र वयस्क
  - 2/3 भंवरी पुत्री गोरधन जी उम्र वयस्क
  - 2/4 लाड पुत्र गोरध जी उम्र वयस्क
  - 2/5 पवन कुमार पुत्र गोरधन जी उम्र वयस्क
  - 2/6 गोपाल लाल पुत्र गोरधन जी उम्र वयस्क निवासीयान दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादी

**वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 38/2009 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 10.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
10/1/25

(अरुण कुमार जैन)  
**सहायक कलक्टर**  
भीलवाड़ा